प्रेस विज्ञप्ति

वित्त लेखा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–19/2016/ ए–1–907/दस–2016–10(65)/2014 दिनांक 14/12/2016 के क्रम में सभी इच्छुक राज्य पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि वे अपना पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0), आधार कार्ड, बैंक पास की मूल प्रति एवं इन प्रपत्रों की छायाप्रति तथा अपनें मोबाईल के साथ कोषागार में प्रथम बार स्वयं उपस्थित होकर डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र के लिये अपना पंजीकरण करा लें ।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत इच्छुक पेंशनरों को प्रथम बार कोषागार स्तर पर डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र हेतु रजिस्टर करवाना है तत्पश्चात् पेंशनरों/पारिवारिक पेंशन्नरों को भविष्य में जीवन प्रमाण–पत्र देने हेतु कोषागार में उपस्थित होनें की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी । वे भविष्य में जीवन प्रमाण–पत्र टैब/स्मार्टफोन/विण्डोज कम्प्यूटर पर एप्लीकेशन www.jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड कर फिंगर प्रिन्टर स्कैनर का प्रयोग करते हुए घर से भी डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र दे पायेंगे । इसके लिये वे नजदीकी जीवन प्रमाण–पत्र केन्द्र/नागरिक सुविधा केन्द्र में भी सम्पर्क कर सकते हैं ।

डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र की यह नई व्यवस्था पूर्व प्रचलित व्यवस्था के साथ साथ लागू रहेगी । यह व्यवस्था ऐच्छिक है तथा जिन पेंशनरों के द्वारा इस वर्ष जीवन प्रमाण–पत्र जमा किया जा चुका है वह एक वर्ष के अन्दर कोषागार में स्वयं उपस्थित होकर इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवा सकते हैं ।

(आत्म प्रकाश बाजपेई) 15/12
मुख्य कोषाधिकारी
बुलन्दशहर
15/12/16